25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 255–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना प्रकरण कमांक 32/अपील/2012–13.

मुन्ना खॉं पुत्र आजाद खॉं
निवासी रामपुर
तहसील आरोन जिला गुना ....आवेदक

विरूद्ध

अब्दुल हमीद खान पुत्र अब्दुल अजीज खान (मृत)
द्वारा वारिसान–
(1) अब्दुल वहीद खान पुत्र अब्दुल हमीद खान
(2) अब्दुल सादिक खान पुत्र अब्दुल हमीद खान
निवासीगण पीरशुकु मोहल्ला, वार्ड नं. 4
कोलारस जिला शिवपुरी ....अनावेदकगण

श्री अजय सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना द्वारा पारित आदेश 10–12–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के पिता स्व. अब्दुल हमीद खान द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 13 पर पारित आदेश दिनांक 24–2–1988 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना के समक्ष दिनांक 25–1–13 को

लगभग 25 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 32/अपील/2012–13 दर्ज कर दिनांक 10–12–13 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करते हुए प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामांतरण पंजी पर सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है, और सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर विलम्ब क्षमा किया गया है कि वर्ष 1985 में अनावेदक हिन्दी में हस्ताक्षर करता था, और अब अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता है, उक्त आधार विलम्ब क्षमा के लिए समाधान कारक नहीं है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा 26 वर्ष के विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है ।

(5) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 वर्ष से अधिक का विलम्ब को क्षमा करने में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के संबंध में सुस्थापित सिद्धान्तों को मान्य नहीं करने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(6) परिसीमा अधिनियम के संदर्भ में अनावेदक ने स्वयं को अस्वस्थ होना व लकवा का मरीज होना बताया है, किन्तु इस संबंध में डाक्टर का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(7) अनावेदकगण के पिता पढ़ा–लिखा रिटायर्ड पेन्शर व्यक्ति था, जो अपने अधिकारों से भलीभांति परिचित था लेकिन जमीनों की कीमत बढ़ जाने के कारण उसकी नीयत बिगड़ गई, इसलिए 26 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है ।

(8) अनावेदक द्वारा स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में उपस्थित किया जाना बताया गया है, जबकि यह साक्ष्य का विषय होने से अनुविभागीय अधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि उसका निराकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 45, 47 एवं 73 के अनुसार ही किया जा सकता है, जिसे प्रमाणित करने के लिए अनावेदक को सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था या अनुविभागीय अधिकारी को हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था ।

तर्कों के समर्थन में (2013) 4 एस.सी.सी 52, 2013 (1) आई.एल.आर. एम.पी. 696, 2013 (3) आई.एल.आर. एम.पी. 1489 (डी.बी.), (2009) 13 एस.सी.सी 192 एवं 2016 (2) एम.पी.आर.एन. 49 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के पिता अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करता था । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके सहमति के आधार पर नामांतरण करा लिया गया है, जबकि अनावेदकगण के पिता द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया गया है, और उनके द्वारा अभी गुण–दोष पर प्रकरण का निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित कर सकते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के पिता शिक्षक थे, और वे अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करते थे ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा जो सूचना पत्र जारी किया गया है, वह अनावेदक मृतक अब्दुल हमीद खान को जारी नहीं किया गया है, बल्कि किसी अन्य अब्दुल हमीद खान को गलत पते पर शिवपुरी के स्थान पर गुना के पते पर सूचना पत्र की तामीली कराई गई है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकार अनावेदक मृतक अब्दुल हमीद खान को सूचना पत्र की विधिवत तामीली कराये बिना उसकी उपस्थिति दर्शायी गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय-सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना द्वारा पारित आदेश 10–12–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर